मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 155
21.06.2019 को उत्तर के लिए

जंगली जानवरों का सड़क दुर्घटनाओं से बचाव

155. श्री कनकमल कटारा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं से जंगली जानवरों को बचाने तथा उनके द्वारा फसल को किये जाने वाले नुकसान को रोकने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन जंगली जानवरों का उनके प्राकृतिक पर्यावासों में पुनर्वास कराने अथवा उन्हें चिड़ियाघर के प्राधिकारियों को सौंपने हेतु कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख) इस मंत्रालय ने वन्य पशुओं को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने और उनसे फसलों को होने वाली क्षति को रोकने के लिए पहले ही निवारक उपाय प्रारंभ कर दिए हैं। इस संबंध में की गई महत्वपूर्ण कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और विश्व बैंक के परामर्श से रेखीय अवसंरचना तैयार करने में लगी रेखीय अवसंरचना की परियोजना एजेंसियों की सहायता करने के लिए 'रेखीय अवसंरचना के प्रभावों को दूर करने के लिए पारि-हितैषी उपाय' नामक एक दस्तावेज़ प्रकाशित किया है। यह एक ऐसी रीति से तैयार होगी जिससे उन क्षेत्रों में मानव-पशु संघर्ष में कमी आएगी जिनमें ये रेखीय अवसंरचनाएं संरक्षित क्षेत्रों और अन्य वन्यजीव क्षेत्रों से होते हुए गुज़र रही होती हैं। एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति ने दिनांक 25 जनवरी, 2018 को हुई अपनी 47वीं बैठक में सिफारिश की थी कि रेखीय अवसंरचना तैयार करने में लगी प्रयोक्ता एजेंसियों को भविष्य में संरक्षित क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास के अधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर रेखीय अवसंरचनाओं को विनिर्दिष्ट करते समय भारतीय वन्यजीव संस्थान के दिशा-निर्देशों के अनुसार बनाई गई परामर्शिका को ध्यान में रखना चाहिए तथा भविष्य में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा रेखीय अवसंरचना प्रस्तावों के साथ इन डब्ल्यूआईआई दिशा-निर्देशों के आधार पर और राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन के परामर्श से तैयार की गई पशु मार्ग योजना, यदि अपेक्षित हो, संलग्न की जानी चाहिए।

ii. इस दस्तावेज के अनुप्रयोग को उपशमन उपायों में बताया गया है जिन्हें महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 (अब एनएच 44) पर दो महत्वपूर्ण बाघ स्रोत क्षेत्रों नामत: कान्हा और पेंच बाघ रिजर्वों के मध्य 18 किमी वन क्षेत्र में निर्मित किया गया है। इन उपशमन उपायों में नौ अवसंरचनाएं शामिल हैं जिनमें निम्नलिखित परिमाप के छ: अंडरपास और तीन छोटे पुल शामिल हैं:

क्र.सं.	अवसंरचना	लम्बाई	संख्या
1.	अंडरपास	750 मीटर	02
2.		300 मीटर	01
3.		100 मीटर	01
4.		50 मीटर	02
5.	छोटे पुल	60 मीटर	01
6.		80 मीटर	01
7.		65 मीटर	01

iii. इन अवसंरचना की क्षमता की निगरानी भारतीय वन्यजीव संस्थान के माध्यम से **''स्मार्ट ग्रीन स्ट्रक्चर की रणनीतिक योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरीडोरों में मौजूदा और प्रस्तावित सड़क अवसंरचना का पारिस्थितिकी प्रभाव आकलन''** नामक शीर्षक परियोजना में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। इस परियोजना ने दर्शाया है कि बाघ, ढोल्स और गौर जैसे अत्यधिक खतरे में पड़े वन्यजीव इन अवसंरचनाओं को सरलता से पार कर जाते हैं जो सड़क पर वाहनों से चोट लगने से वन्यजीवों के बचाव में अपनी उपयोगिता साबित करते हैं।

iv. यह मंत्रालय अपनी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यावास सुधार कार्यों नामत: प्राकृतिक जल निकायों की बहाली, कृत्रिम तालाबों और जल-गर्तिका के सृजन, वन्य पशुओं को वन क्षेत्रों से बाहर जाने से रोकने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर विभिन्न स्थलों पर भोजन/चारे के स्रोत में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप करने हेतु निधियां प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत फसलों की क्षति से प्रभावित व्यक्तियों को भी क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

(ग), (घ) और (ड.) स्वास्थ्य जांच करने के पश्चात ही वन्य पशुओं को वन में वापस पुनर्वासित किया जाता है।

******